मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड

7 दिसंबर, 1989

[न्यायमूर्ति एम. एम. पूंछि और न्यायमूर्ति एस. रंगनाथन]

प्रशासनिक कानूनः वचन विबन्धन-उद्योगपित अपने स्वयं के नए
उत्पादन सेटों के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं-सरकार द्वारा
दिया गया आश्वासन=विद्युत शुल्क में छूट-का प्रभाव।

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 136-तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप-केवल असाधारण मामलों में।

मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949: धारा 3-बी विद्युत शुल्क-छूट-अधिसूचना-अधिसूचना जारी करने का आदेश दिए बिना ही उच्च न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करना-क्या उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

अपनी औद्योगिक नीति में, राज्य सरकार ने 1.8.1961 को घोषणा की कि जहां स्वयं उद्योगपितयों के द्वारा विद्युत उत्पादन की जानी है, संयंत्र के उत्पादन में जाने की तारीख से पांच साल की अविध के लिए विद्युत शुल्क से छूट दी जाएगी, और यह रियायत केवल तीसरी योजना अविध के दौरान स्थापित नए उत्पादन सेटों पर लागू होगी। प्रतिवादी ने 3.5.1955 को सरकार को यह संकेत दिया कि उसे अपने कागज संयंत्र को चलाने के लिए लगभग 5000 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होगी और वह स्वयं आवश्यक उत्पादन उपकरण प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। उसने उत्पादन संयंत्र का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस और इसे चलाने के लिए विद्युत संयंत्र लगाने के लिए भी आवेदन किया। आयात लाइसेंस प्रदान किया गया और प्रतिवादी ने विदेशी आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत शुरू कर दी। चूँकि कीमत बढ़ गई थी, इसलिए प्रतिवादी के लिए उत्पादन संयंत्र और विद्युत संयंत्र दोनों का आयात करना असंभव था, और यदि उत्पादन संयंत्र के साथ विद्युत संयंत्र नहीं खरीदा गया, तो यह परियोजना को आर्थिक रूप से डाँवाडोल बना देगा। इसलिए प्रतिवादी दुविधा में था की विद्युत संयंत्र लगाया जाए या नहीं। इस बीच, उपरोक्त औद्योगिक नीति की घोषणा की गई और प्रतिवादी ने विद्युत संयंत्र की स्थापना कर 16.2.1965 से उत्पादन आरंभ कर दिया था।

इसके बाद मामले को मान्यता देने के लिए, प्रतिवादी ने अपीलार्थी के साथ अपेक्षित छूट प्रदान करने के लिए पत्राचार किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, और प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत एक याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के दिनांक 1.8.1961 के आश्वासन के संदर्भ में

16.2.1965 से पांच साल की अविध के लिए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए वचन विबन्धन के सिद्धांत को लागू करने का हकदार था।

उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ राज्य विशेष अनुमति द्वारा अपील में आया है।

अपीलार्थी राज्य की ओर से यह आग्रह किया गया था कि यहाँ पर वचन विबन्धन के सिद्धांत को लागू करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि प्रतिवादी ने किसी भी तरह से अपने स्वयं के पूर्वाग्रह के लिए सरकार के आश्वासन पर कार्य नहीं किया था, लेकिन अपने दम पर ही औद्योगिक नीति की घोषणा होने से बहुत पहले एक उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा था।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. क्या प्रतिवादी शुरुआत से ही विद्युत संयंत्र लगाने के लिए एक मन था, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.8.1961 के आश्वासन के साथ या उसके बिना, जैसा कि राज्य द्वारा दावा किया गया है, न तो प्रमाणित है और न ही रिकॉर्ड से उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में सामने आया है। इसके विपरीत, यह विचार लिया गया है कि उस संबंध में दिनांक 1.8.1961 के आश्वासन की घोषणा के बाद प्रतिवादी की अनिर्णयता समाप्त हो गई और वह निर्णायक हो गया। उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण कि प्रत्यर्थी ने आश्वासन के आधार पर कार्रवाई की थी, उसके

समक्ष रखी गई सामग्री और उससे जो निष्कर्ष निकाला जा सकता था, के आधार पर एक संभावित दृष्टिकोण हो सकता था। [441 ई-एफ]

- 2. यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा पहुंचे गए तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता है और इस मामले को अपवाद के रूप मे नहीं दिखाया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया हिष्टिकोण साधारण था बिना किसी हस्तक्षेप के इसे कायम रखते छोड़ दिया जाने लायक। [441 एफ]
- 3. राज्य सरकार को इस तरह की अधिसूचना का आदेश जारी किए बिना, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को राहत दी है, जिस पर कोई रोक नहीं थी। तदनुसार मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। [442 ए]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1975 की सिविल अपील सं. 498

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 1973 की विविध याचिका सं. 316 में दिनांक 31.7.1974 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिए पृथ्वी राज, सतीश के. अग्निहोत्री और अशोक सिंह।

प्रतिवादी के लिए शंकर घोष, विवेक गंभीर और परवीन कुमार। न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

न्यायमूर्ति पूंछि

विशेष अनुमित द्वारा यह अपील उस निर्णय और आदेश के खिलाफ है जिसके तहत ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड, यहाँ एकमात्र प्रतिवादी, की भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत की गई एक याचिका को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा अनुमित प्रदान की गई थी और क्रमिक रूप से राज्य सरकार के प्रतिवादी को 16.2.1965 से 15.2.1970 तक की अविध के लिए विद्युत शुल्क में छूट देने से इनकार कर देने के दिनांक 15.3.1973 के आदेश और इसके अनुरूप दिनांक 20.3.1973 और 3.4.1973 के मांग नोटिसों को रद्द कर दिया गया था। व्यथित मध्य प्रदेश राज्य और उसके संबंधित अधिकारी इसे चुनौती देने वाले अपीलकर्ता हैं।

प्रतिवादी को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपनी घोषित औद्योगिक नीति में दिए गए विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में दिनांक 1.8.1961 के उस आदेश पालना के लिए उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता थी, जिसे आरंभ में ही यहां पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है:

"जहाँ उद्योगपितयों को स्वयं विद्युत उत्पादन करना होता है, संयंत्र से उत्पादन् शुरू होने की दिनांक से पाँच साल की अविध के लिए विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट केवल तीसरी योजना अविध के दौरान स्थापित नए उत्पादन सेटों के लिए ही लागू होगी।"

तथ्यात्मक रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष यह विवादित नहीं था कि प्रतिवादी का मामला पूरी तरह से ऊपर दिए गए आश्वासन के दायरे में आता है चूंकि प्रतिवादी का औद्योगिक संयंत्र दिनांक 16.2.1965 से उत्पादन में चला गया था, उत्पादन सेट नया था, और तीसरी योजना अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। मामले को मान्यता देने के लिए, प्रतिवादी ने सरकार से अपेक्षित छूट देने के लिए पत्राचार किया था। चूंकि इसे खारिज कर दिया गया था और विद्युत श्ल्क के भ्गतान की मांग की गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय से उपरोक्त आदेशों और मांग नोटिसों को रद्द करने के लिए उपयुक्त रिट, निर्देश और आदेश जारी करने और पाँच साल की उक्त अवधि के दौरान प्रतिवादी द्वारा स्वयं किए गए विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने और राज्य को उपरोक्त उल्लेखित औद्योगिक नीति दिनांक 1.8.1961 में दिए गए आश्वासनों और वादों को पूरा करने का आदेश देने और फिर राज्य को मध्य प्रदेश विद्य्त श्ल्क अधिनियम, 1949 की धार 3-ब के तहत एक अधिसूचना जिसमे प्रतिवादी को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट या अपवाद दिया जाए जारी करने का आदेश, और परिणामस्वरूप सम्बन्धित अन्य राहतें देने का अन्रोध किया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में विशाल दस्तावेजी साक्ष्य दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष रखी गई पूरी सामग्री पर विचार करते हुए प्रतिवादी के पक्ष में एक वचन विबन्धन का आदेश दिया और इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

"अंत में, हमारी यह राय है की प्रतिवादी राज्य सरकार के दिनांक 1.8.1961 के आश्वासन के संदर्भ में पाँच वर्ष की अवधि के लिए 16.2.1965 से 15.21970 तक विद्युत श्ल्क के भ्गतान से छूट प्राप्त करने के लिए वचन विबंधन के सिद्धांत को लागू करने का हकदार है। बेशक, जैसा कि पहले संकेत दिया गया है कि राज्य सरकार को एम. पी. विद्युत श्ल्क (संशोधन) अधिनियम, 1949 के संदर्भ में याचिककर्ता को अन्दान देने का निर्देश देने वाली कोई भी रिट जारी करना हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा 1.8.1961 को दिए गए स्स्पष्ट और असंदिग्ध आश्वासन को देखते हुए, हम निश्चित रूप से राज्य सरकार के दिनांकित 15.3.1973 के (याचिकाकर्ता का अन्लग्नक-48) और दिनांकित 3.4.1973 (याचिकाकर्ता का अनुलग्नक-50) के आदेश को रद्द करके मामला वहीं छोड़ सकते हैं। यह सरकार के लिए होगा कि वह उसके आधार पर अपनी कार्यवाही करे।"

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री पृथ्वी राज ने आग्रह किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वचन विबन्धन के सिद्धांत को लागू करने का कोई अवसर नहीं था। इस बात पर जोर दिया गया कि यद्यपि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति को उपरोक्त आश्वासन के साथ 1.8.1961 को प्रकाशित किया गया था, लेकिन प्रतिवादी ने किसी भी तरह से अपने पूर्वाग्रह के अनुसार काम नहीं किया था, बल्कि अपने दम पर औद्योगिक नीति की घोषणा से बहुत पहले एक उत्पादन संयंत्र स्थापित

करने के लिए कदम उठा रहा था और वास्तव में अपने पहले के संकल्प के अन्सार उत्पादन संयंत्र स्थापित किया था। जिन तथ्यों पर प्रकाश डाला गया वे यह थे कि प्रतिवादी पेपर मिल, विंध्य प्रदेश के अमलाई में स्थापित की गई थी, जब केंद्रीय सरकार के प्रशासन के तहत राज्य का एक भाग-सी था। उसने सरकार को अपने दिनांक 3.5.1955 के आवेदन में कहा था कि उसे अपने कागज संयंत्र को चलाने के लिए लगभग 5000 किलोवाट विद्युत की आवश्यकता होगी और वह स्वयं आवश्यक उत्पादन के उपकरण प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय राज्य सरकार के पास विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अपनी परियोजना थी। उस आधार पर बिजली की वार्षिक आवश्यकता के संबंध में प्रतिवादी और राज्य सरकार के बीच कुछ पत्राचार ह्आ। उस प्रयास को क्छ कारणों से छोड़ दिया गया था जो यहां प्रासंगिक नहीं हैं। इसके बाद प्रत्यर्थी ने एक उत्पादन संयंत्र के आयात और साथ में इसे चलाने के लिए एक बिजली संयंत्र भी आयात करने के लिए के लिए लाइसेंस का आवेदन किया। प्रत्यर्थी को एक आयात लाइसेंस प्रदान किया गया था जिसके बल पर उसने एक अमेरिकी आपूर्तिकर्ता के साथ बातचीत श्रू की। जब बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी तब अमेरिकी आपूर्तिकर्ता ने कीमत बढ़ा दी। प्रतिवादी के लिए विश्व बैंक द्वारा आवंटित धन के भीतर उत्पादन संयंत्र और बिजली संयंत्र का आयात करना असंभव हो गया और इन परिस्थितियों में, अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं ने प्रतिवादी को बिजली संयंत्र की खरीद को छोड़ने की सलाह दी। उसी समय अमेरिकी आपूर्तिकर्ता ने प्रत्यर्थी को चेतावनी दी कि यदि उत्पादन संयंत्र के साथ बिजली संयंत्र बिजली संयंत्र नहीं खरीदा गया, तो यह परियोजना को आर्थिक रूप से डांवाडोल कर देगा और यह प्रत्यर्थी द्वारा वांछित अपनी गारंटी को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इन परिस्थितियों बिजली संयंत्र लगाया जाए या नहीं, प्रत्यर्थी के मन में दो राय हो गई। जब वह इस मनोस्थिति में था, तो सरकार द्वारा 1.8.1961 को औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसके बाद, 21.8.1961 को प्रतिवादी ने स्वीकृत राशि से 3.5 मिलियन डॉलर अधिक मूल्य की वस्तुओं के आयात की अनुमित के लिए भारत सरकार को आवेदन किया। अंत में, प्रतिवादी भारत सरकार की सहमित और विश्व बैंक की सहायता से उत्पादन संयंत्र और बिजली संयंत्र का आयात करके और इसकी स्थापना के बाद 16.2.1965 से उत्पादन शुरू कर सका था।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा पहले से निर्धारित घटनाओं का क्रम इस तरह से विवादित नहीं था लेकिन यह अब हमारे सामने रखा गया था कि प्रतिवादी दिनांक 1.8.1961 की औद्योगिक नीति की घोषणा के बिना भी बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए अपने ही दम पर आगे बढ़ जाता। इसके अतिरिक्त, इसी तरह से यह भी कायम रखा गया कि प्रत्यर्थी ने इस दिनांक 1.8.1961 के उपरोक्त आश्वासन के आधार पर उसके अपने पूर्वाग्रह के अनुसार कार्य नहीं किया था और इसलिए वचन विबन्धन के सिद्धांत लागू करने योग्य नहीं था। इस प्रकार

उठाए गए राज्य के बचाव को उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दियाः

"हम पहले ही उस पहलू पर विचार कर चुके हैं और हम पहले से ही मान चुके है कि बिजली संयंत्र को स्थापित करने में याचिकाकर्ता की कार्रवाई कुछ परिस्थितियों के कारण और अंततः निर्माताओं की सलाह पर जिन्होंने गारंटी जारी रखने से इनकार कर दिया था स्थगित कर दी गई थी, याचिकाकर्ता ने अपना खुद का विद्युत संयंत्र स्थापित करने का फैसला किया। इस बीच, राज्य सरकार का आश्वासन, दिनांक 1.8.1961 को पहले से ही दिया जा चुका था और याचिकाकर्ता की अपना खुद का विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अंतिम निर्णय लेने में याचिककर्ता की कार्यवाही सीधे राज्य सरकार के दिनांक 1.8.1961 के आश्वासन से जुड़ी हो सकती है। जैसे ही याचिकाकर्ता ने इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया, उसने ह्ट प्रदान करने हेतु राज्य सरकार को आवेदन किया, हालांकि वह आवेदन समय से पहले था, क्योंकि याचिकाकर्ता की पेपर मिल ने कार्य प्रारंभ नहीं किया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता निश्चित रूप राज्य सरकार के दिनांक 1.8.1961 के आश्वासन के संदर्भ में छूट का दावा करने का उस तारीख से हकदार होगा जिस तारीख से पेपर मिल ने काम करना शुरू कर दिया, अर्थात्, 16.2.1965 और यह छूट पांच साल की अवधि के लिए 15.2.1970.तक रहेगी।"

क्या प्रतिवादी श्रू से ही राज्य सरकार के आश्वासन दिनांक 1.8.1961 के साथ या उसके बिना, विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर एक मत था जैसा कि राज्य द्वारा दावा किया गया है, न तो प्ष्ट की गई है और न ही उच्च न्यायालय का विचार अभिलेख से सामने आया है। बल्कि, इसके विपरीत, यह दृष्टिकोण अपनाया गया कि उस संबंध में प्रतिवादी का अनिर्णय समाप्त हो गया और यह दिनांक 1.8.1961 की आश्वासन की घोषणा पर निर्णायक हो गया। उच्च न्यायालय का ऐसा दृष्टिकोण उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर लिया जाने वाला एक संभावित दृष्टिकोण था और उससे निकाला गया निष्कर्ष यह हो सकता है कि प्रतिवादी ने आश्वासन के आधार पर कार्य किया था। इस संबंध में अभ्यास को फिर से करने का प्रयास अनिवार्य रूप से विफल होना चाहिए, क्योंकि यह न्यायालय आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक निष्कर्षी में हस्तक्षेप नहीं करता है और इस मामले को हमें अपवाद नहीं दिखाया गया है। इस स्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण साधारण था जिसके कारण इसे गैर-हस्तक्षेप छोड़ दिया जाना चाहिए था।

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा यह तर्क देते हुए कुछ प्रयास किया गया था कि मध्य प्रदेश बिजली शुल्क अधिनियम, 1949 की धारा 3-ए (vii) (इसके संशोधन से पहले) और धारा 3-बी (संशोधित के रूप में) के तहत राज्य सरकार को उत्तरदाता को बिजली शुल्क के भुगतान से छूट देने वाली अधिसूचना जारी करने के लिए आदेश देने के लिए वचन

बंधन के सिद्धांत को काम में नहीं लिया जा सकता है। इस तर्क का उत्तर उच्च न्यायालय द्वारा ऊपर निकले गए इस निष्कर्ष में उपलब्ध है। राज्य सरकार को इस तरह की अधिसूचना जारी करने के लिए आदेश दिए बिना, उसने प्रतिवादी को को राहत दी है, जिस पर कोई रोक नहीं थी। तदनुसार, मध्य प्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हम इस तर्क को भी खारिज करते हैं।

इस प्रकार पूर्वगामी कारणों से यह अपील विफल हो जाती है और इसे बर्खास्त किया जाता है। कोई लागत नहीं।

याचिका खारिज

जी.एन.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।